निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1944 (श0)

(सं0 पटना 411) पटना, मंगलवार, 28 जून 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

27 जून 2022

सं० वि०स०वि०-14/2022-***2437***/वि०स० ।— ''बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-27 जून, 2022 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव।

बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2022

[वि०स०वि०-12/2022]

बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्न रूप से अधिनियमित हो –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–

(i) यह अधिनियम बिहार छोआ (नियंत्रण) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा–8 का प्रतिस्थापन।–बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम,1947 की धारा–8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

''**8 छोआ का मूल्य**–छोआ का स्वामी, प्रबंधक अथवा अधिभोगी लिखित समझौते या अनुबंध के माध्यम से तय की गयी कीमत (प्रयोज्य कर/शुल्क आदि सहित) पर क्रेता को छोआ की बिक्री कर सकेगा।''

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य में अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्यनिषेध लागू है। राज्य में छोआ आधारित आसवनियों को पेट्रोल में समिश्रण हेतु अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए सिर्फ इथनॉल निर्माण की अनुमति दी गयी है। बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा–8 में छोआ का मूल्य निर्धारण करने का प्रावधान है, जिसके तहत छोआ उत्पादक चीनी मिलों की मांग के आधार पर छोआ का मूल्य वर्ष 2013 में मुद्रा स्फीति में वृद्धि के आधार पर 187.50 रू0 प्रति क्वींटल निर्धारित किया गया था। पुनः वर्ष 2014 में 287.50/–रू0 प्रति क्वींटल पुनरीक्षित किया गया। अभी हाल में वर्ष 2021 में छोआ का मूल्य छोआ के ग्रेड के आधार पर पुनर्निधारित किया गया।

चीनी मिलों के द्वारा छोआ का मूल्य विनियंत्रित करने का अनुरोध किया गया है ताकि उन्हें अन्य राज्यों की तरह छोआ का बाजार मूल्य प्राप्त हो सके।

छोआ का बाजार मूल्य विक्रेता एवं क्रेता की आपसी सहमति से तय होने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा–8 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

इसलिए बिहार छोआ (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा–8 में संशोधन करना ही इस विधयेक का उद्देश्य है, तथा इसे अधिनियमित कराने ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(सुनील कुमार)
भार-साधक सदस्य

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

पटना
दिनांक–27.06.2022

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **411-571+10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in